ायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या 14 / 2021 (2021 / 60)

ोरावर सिंह पुत्र कुशाल सिंह जाति राजपूत निवासी बिसून्दनी तहसील सावर जिला अजमेर

—प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर तहसील सावर जिला अजमेर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः— श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह —वकील प्रार्थी

श्री तहसीलदार सावर —पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 03-09-2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की खातेदारी ब्जे काश्त आधिपत्य स्वामित्व की ग्राम बिसून्दनी की निम्नवर्णित आराजीयात जमाबंदी संवत् 73–76 मे दर्ज है:–

वट खतौनी संख्या थी–पुरानी	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
–1	1113	0.6900	बारानी 3

इस आराजी मे प्रार्थी के अलावा किसी दीगर व्यक्ति का विधिक अधिकार हक हिस्सा नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर पत्थरगढ़ी नही होने से के कारण आराजी के ड़ौसी जबरन अतिक्रमण कर कब्जा करने की धमकियां देते है,तथा पत्थरगढ़ी के अभाव मे ीमा बाबत् आये दिन लड़ाई–झगड़ा प्रार्थी से करते रहते है। अप्रार्थी के आदेश की अनुपालना ांक 16.05.2018 को सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा करवाया गया,इसके बावजूद दिनांक 5.02.2021 को भी प्रार्थी अपने खेत के डोल डलवाने गया तो पड़ौसियों द्वारा मौके पर त्थरगढ़ी के अभाव मे सीमा के बाबत् विवाद किया तथा लड़ाई झगड़ा करने लग गयेअतः ार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढ़ी नाप चौप करवायी जावे,ताकि किसी कार का झगड़ा फिसाद नहीं हो। अतः पत्थरगढ़ी व सीमाचिन्ह अंकित किया जाना न्यायोचित वं आवश्यक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 05.02.2021 को उत्पन्न ुआ व दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज जिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार सावर ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब ार्थना पत्र मे बताया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। सीमाज्ञान न्द्राज रजिस्टर अनुसार सीमाज्ञान आदेश कमांक 15 दिनांक 15.05.2018 व पालना दिनांक 6.05.2018 के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अप्रार्थी को लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य है। अतः ग्राम बिसून्दनी की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी की है जिसका सीमाज्ञान किया जा चुका है। खातेदार स्वयं की खातेदारी की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाने का हक अधिकार रखता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना प[त्र स्वीकार] किया जाता है। तहसीलदार सावर प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरग[ढ़ी की] [क]ार्यवाही की कार्यवाही दक्ष कार्मिको की टीम गठित कर करावे। प्रार्थी पत्र[ावली] [का खर्चा] अपना वहन करे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.13 12:56:23 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner